मो० हसीब
पिता रियासत मियाँ
सा० चुडीहार मोहल्ला
चकरा

अनुसूची १४—फारम सं० ५६२।

निष्पादित

आदेश-पत्रक

(देखें भिलेख हस्तक; १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक—ता०.................................से.................................तक

जिला.................................सं०.................................सन् १९ .... 9/2003-2004

केस का प्रकार ....सिरिया.......

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
१	२	३
1/1/03	आवेदक मो० हसीब पिता रियासत मियाँ सा० चुड़ीहार मोहल्ला चकरा ने आवेदन किये है कि ग्राम चकरा के खाता नं० अनिबंधित प्लॉट नं० अनिबंधित का सरकारी रसीद रकबा 0.05 डी० भूमि का सरकारी रसीद मेरी माँ अजीवन पति रियासत मियाँ के नाम से कट रहा था किन्तु पंजी में नाम नहीं दर्ज रहने के कारण रसीद कटना बन्द हो चुका है अतः जमाबन्दी खोल कर रसीद काटने का अनुरोध किए है। सम्बन्धित राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रति वेदन प्राप्त है। इन्होंने अपने जाँच प्रति वेदन मे प्रतिवेदित किये है कि आवेदक के माँ के नाम से ग्राम चकरा के अनिबंधित क्षेत्र का 0.05 डी० भूमि का सरकारी रसीद वर्ष 98-99 तक निर्गत है पंजी II के पेज नं० 321 पर निर्गत थी पंजी फट जाने के कारण रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि केवाला सं० 520 दिनांक 3-6-48 से खरीद की गई है। अतः नये पंजी मे नाम दर्ज करने हेतु अनुसंसा किये है।	28.5.03.

हाथ .....विनर्वत क्रम; गया।

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
	1	1
	आवेदक को नोटिस निर्गत कर मूल कागजात की मांग करें। अभिलेख दिनांक 18/1/03 को उपस्थापित करें। (हस्ताक्षर) 4/1/03 अंचल अधिकारी चतरा	
18/1/03 30/5/03	अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक द्वारा मूल कागजात के साथ उपस्थित। आवेदक हैदर मो० अजीम के पुत्र मो० हसीब ग्राम निवासी के कागजात अभिलेख में संलग्न है जो निम्न प्रकार है। (1) केवाला सं० 520 दि० 3/6/48 जिसमें विक्रेता श्री इसहाक मियां एवं मुमक मियां है तथा क्रेता बीबी अजीमन श्री हैदर की पत्नी है जिसमें ग्राम चतरा के अभिलेखित खेत के बिना खाता प्लॉट के रकबा 0.05 एकड़ जमीन क्रय किया गया है। (2) प्रथम सामग्री रसीद VVV - 893467 / 31/3/54 संवत 2011 (3) द्वितीय — VVVV — 114110 / 30/3/56 — 2012 (3) — — 444493 / 13/4/60 — 1966 (17 ई० 1960) (4) — 823137 / 28/3/64 — 63/64	

अनुसूची १४—फारम सं० ५६९

आदेश-पत्रक

(देखें [illegible] हस्तक; १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक—ता० ....से ....तक

जिला ...., सं० .... सन् १९ ....

केस का प्रकार ....

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3
	(1) LR Case — 65/483 / 24/2/66 — 65/66/66-67	
	(2) —do— 718091 / 3/3/73 — 73/74	
	(3) —do— 337287 / 19/7/84 — 74/75 से 85/86	
	(4) —do— 777382 / 31/6/95 — 92/93 से 95/96	
	(5) —do— 412416 / 3/3/99 — 96/97 से 98/99	
	इस संबंध में हल्का कर्मचारी का प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। हल्का कर्मचारी अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किए हैं कि पंजी II ख० 321। पर जमाबन्दी कायम नहीं और इस पर 1998/99 तक रसीद निर्गत की गई है। ख० 321। फरवाक कि वसूल रसीद नहीं निर्गत किया जा रहा है।	

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
1	2	3

प्राप्त मूल कागजात हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी रैयत की जमाबन्दी वर्ष 1934 से केवाला के आधार पर कायम किया गया है साथ ही 99 तक रसीद निर्गत की गई है। पंजी II हल्का कर्मचारी के पास उपलब्ध है जो पृ० 321 मात्र है।

अतः इस वाद में दाखिल कागजातों एवं हल्का कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में ग्राम-चतरा के असर्वेक्षित क्षेत्र रकबा 0.05 डी० आवेदक जमाबन्दी होल्डिंग नं० 20 जो पंजी II पृ० नं० 321, पर दर्ज लगान 0.62 पैसा आना से। अंचल अमीन की प्रतिवेदन के आधार पर नाम कायम करते हुए लगान की निर्धारित वसूल करने की संपुष्टि की जाती है।

हल्का कर्मचारी को अग्रिम निर्गत करें।

अंचल अधिकारी, चतरा

प्रथम उप समाहर्ता भूमि सुधार (डी०सी०एल०आर०) चतरा

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.23 07:12:06 -07:00
Location: 192.168.1.41

Scanned with OKEN Scanner